



राजस्थान सरकार
आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

Block-4, RKS Sankul, JLN Road, Jaipur- 302015, Rajasthan

Website: <http://hte.rajasthan.gov.in/dept/dce/> e-mail: hrd.cce@gmail.com Ph.: 0141-2702247

क्रमांक: एफ1 ()स्था/निकाशि/23/186

दिनांक: 17/05/2023

प्राचार्य,
समस्त राजकीय महाविद्यालय,
राजस्थान

विषय: प्रोफेसर पद के वेतन स्थिरिकरण के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि सीएएस योजनान्तर्गत आचार्य के पदों पर पदोन्नती पर वेतन नियतन हेतु राजकीय महाविद्यालयों के प्राचार्यों को निर्देशित किया जाता है कि वे सभी अपने-अपने महाविद्यालयों में आचार्यों के वेतन नियतन हेतु प्रक्रिया अतिशीघ्र पूर्ण कर विभाग की E-Dak पर की गई कार्यवाही से अवगत करावें।

साथ ही जिन महाविद्यालयों में लेखाधिकारी/सहायक लेखाधिकारी का पदस्थापन नहीं होने के कारण पदोन्नत आचार्यों के वेतन स्थिरिकरण में समस्या हो रही है वे सभी महाविद्यालय निकटवर्ती महाविद्यालयों में कार्यरत लेखाकर्मियों से उक्त कार्य कराया जावे तथा संबंधित प्राचार्य हेतु अनिवार्य रूप से उनको आदेशित करे एवं रेंस/नोडल महाविद्यालय/जिला महाविद्यालय में सम्पर्क कर वेतन स्थिरिकरण का कार्य भी सम्पादित किया जाना सुनिश्चित करें।

कार्यवाहक प्राचार्य भी अपना वेतन स्थिरिकरण आयुक्तालय में करावें।

आयुक्त

कॉलेज शिक्षा, राज.

दिनांक:

क्रमांक: एफ1 ()स्था/निकाशि/23/

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, आयुक्त कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर।
2. वेबसाईट प्रभारी को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
3. रक्षित पत्रावली।

(डॉ.टी.सी.बैरवा)

संयुक्त निदेशक (HRD)

आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राज.